भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4117

उत्तर देने की तारीख : 28 मार्च, 2022

हिमालय क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण

4117. श्री सुरेश कश्यप :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश में फैले हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और परिरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अपनी योजना के तहत प्रदान किए अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध और तिब्बती संस्कृति कला पर उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(जी. किशन रेड्डी)

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(क) : संस्कृति मंत्रालय शोध, प्रलेखन, प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैले हुए हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के उद्देश्य से 'हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' नामक वित्तीय अनुदान स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत पर अध्ययन एवं शोध, प्राचीन पांडुलिपियों, साहित्य, कला एवं शिल्पों का परिरक्षण, संगीत एवं नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यकलापों/कार्यक्रमों का प्रलेखन और कला एवं संस्कृति के दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों तथा पारंपरिक एवं लोक कला में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित स्वयंसेवी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की मात्रा 10.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इस स्कीम से संबंधित विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को यह शक्ति प्राप्त है कि ये अधिकतम सीमा से अधिक

राशि जो 30.00 लाख रुपये से अधिक न हो, की अनुशंसा इस स्कीम से कर सकती है।

(ख) : उक्त स्कीम केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है और राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई निधि जारी नहीं की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य**	**वर्ष-वार जारी निधि**			
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (14.03.2022 तक)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	69.00	63.12	98.25	103.50
2.	सिक्किम	7.50	--	26.50	16.50
3.	हिमाचल प्रदेश	46.59	55.67	69.00	90.25
4.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	31.25	25.71	21.50	73.25
5.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	7.00	12.00	24.50	18.00
6.	उत्तराखंड	77.25	73.45	96.25	171.98
कुल		**238.59**	**229.95**	**336.00**	**473.48**

(ग) : संस्कृति मंत्रालय, बौद्ध/तिब्बती संस्कृति, परंपरा और संबंधित क्षेत्रों में शोध के प्रसार और वैज्ञानिक विकास में कार्यरत बौद्ध मठों सहित स्वयंसेवी बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम' नामक विशिष्टि वित्तीय अनुदान स्कीम कार्यान्वित करता है। यह स्कीम हिमालय क्षेत्र सहित पूरे देश में लागू है।

इसके अतिरिक्त, आधुनिक विश्वविद्यालय तंत्र के माध्यम से बौद्ध/तिब्बती दर्शन और कला एवं संस्कृति में शिक्षा प्रदान करने हेतु हिमालयी क्षेत्र में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित स्वायत्त संगठन कार्यरत हैं :

1. केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख
2. केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहुंग, अरुणाचल प्रदेश

पूर्वोक्त स्वायत्त संगठनों के अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्र में निम्नलिखित अनुदानग्राही निकायों की देखरेख और रखरखाव के लिए वार्षिक सहायता अनुदान भी प्रदान करता है :

1. लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स, धर्मशाला
2. बौद्ध संस्कृति अध्ययन केन्द्र, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश
3. नामग्याल तिब्बत शास्त्र संस्थान, सिक्किम
4. जीआरएल मठीय विद्यालय, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश